

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या

02/2015-16

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम -

:- जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सुपौल के सिर्फ
राजस्व प्राप्ति से संबंधित लेखा।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि:-

वर्ष 97-98 से 12-13 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम:-

गृह (आरक्षी) विभाग

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी - पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा। विवरण
का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :- प्राप्त नहीं।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :-

(1) श्री मो० शोपेश खाँ, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक- 1.4.97 से 13.4.99 तक।

(2) श्री सुशील खोपड़े, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक- 13.4.99 से 22.11.99 तक।

(3) श्री गणेश प्रसाद वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक- 5.12.99 से 6.6.2000 तक।

(4) श्री गिरिजानन्दन शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दि० - 6.6.2000 से 22.8.02 तक।

(5) श्री रघुनाथ प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक- 22.8.02 से 23.12.2003 तक।

(6) श्री मनोहर प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक - 23.12.2003 से 13.5.05 तक।

(7) श्री ओमेन्द्र नाथ भारकर, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दि० - 13.5.05 से 1.8.2005 तक।

- (8) श्री मनोहर प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक— 5.8.05 से 21.08.05 तक।
- (9) श्री अमित कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दि० — 22.8.05 से 20.12.05 तक।
- (10) श्री रघुनाथ प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक— 20.12.05 से 14.04.07 तक।
- (11) श्री श्याम कुमार, पुलिस अधीक्षक सुपौल दि० — 14.04.07 से 25.08.08 तक
- (12) श्री मो० शाहरुख मजीद, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक— 25.08.08 से 10.9.08 तक
- (13) श्री डी० एन० गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दि० — 10.09.2008 से 5.10.08 तक
- (14) श्री मो० शाहरुख मजीद, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक— 5.10.08 से 28.7.09 तक
- (15) श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दि० — 28.07.09 से 14.02.11 तक
- (16) श्री विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक— 16.02.11 से 29.3.13 तक

लेखा प्रभारी पुलिस उपाधीक्षकों के नाम :-

1. श्री दयानन्द कुमार, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक — 1.4.97 से 31.7.97 तक।
2. श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक— 1.8.97 से 31.8.98 तक।
3. श्री गणेश प्रसाद वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक — 1.9.98 से 30.6.2000 तक।
4. श्री कुमार एकले, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक— 1.7.2000 से 28.2.02 तक।

5. श्री विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक-1.3.02 से 31.5.03 तक।
6. श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक- 1.6.03 से 31.5.04 तक।
7. श्री राम सहाय, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक- 1.6.04 से 31.12.05 तक।
8. श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक- 10.1.06 से 31.8.06 तक।
9. श्री शैशव यादव, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक- 1.9.06 से 31.05.10 तक।
10. श्री अजय नारायण यादव, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक- 1.6.10 से 30.06.12 तक।
11. श्री मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक सुपौल, दिनांक- 1.7.12 से 31.3.13 तक।

प्रधान लिपिक :-

1. श्री रामदेव झा, प्र० लि०, सुपौल दि० - 1.4.97 से 31.10.04 तक
2. रिक्त, प्र० लि०, सुपौल दि० - 1.11.2004 से 31.12.08 तक
3. श्री राम कृपाल राम, प्र० लि०, सुपौल दि० - 1.1.2009 से अद्यतन

लेखापाल का नाम :-

1. श्री लक्ष्मी नारायण खाँ, लेखापाल, दि० - 1.4.97 से 31.1.2010 तक
2. श्री राय अमरेन्द्र कुमार शर्मा, लेखापाल, दि० - 1.2.10 से 31.3.2013 तक

परिचारी प्रवर :-

1. श्री रामाकान्त प्रसाद, परिचारी प्रवर दिनांक - 25.4.12 से अद्यतन।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी (i) श्री दीपक कुमार हेनरी, लेखापाल, वर्तमान ले०।

/ कर्मचारी का नाम / पदनाम एवं

(ii) श्री, रामाकान्त प्रसाद, परिचारी प्रवर।

कार्यकाल:-

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम :-

(1) श्री आलोक कुमार गुप्ता, व०अ०-2

(2) श्री भोलानाथ मंडल, व०अ०-2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भ तिथि :-

दिनांक- 23.3.14, पुन० प्रा० तिथि-6.12.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :-

दिनांक - 18.02.15

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :- $29\frac{1}{3}$ कार्य दिवस औसतन।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत - अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

अभिलेखों की सूची :-

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :-

(i) अंकेक्षण के प्रकार :- सामान्य अंकेक्षण।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग, का आदेश सं० एवं तिथि :- ज्ञापक -3286 दिनांक 15.9.1960, एवं वि०

मु0 झापांक - 06 दि0 - 22.01.2014, वि0 मु0 के पत्रांक - 61 दिनांक- 1.7.2014

(iii) कार्यालय का कार्य क्षेत्र -

राज्य सरकार द्वारा सहरसा जिलान्तर्गत सुपौल अनुमण्डल को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-44 दिनांक-13.3.1991 के द्वारा राजस्व जिला सृजित किया गया है। इसके पूर्व सुपौल सहरसा जिला के अनुमंडल के रूप में कार्यरत था।

नव सृजित जिला सुपौल के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का कार्यक्षेत्र जिला में अपराध नियंत्रण / कांडों का अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था संधारण आमूचल तंत्र / अपराध अनुसंधान / यातायात में प्रभावकारी नियंत्रण बैंकों के रोकड़ हस्तांतरण / संचालन हेतु मांग पर शस्त्र गार्ड उपलब्ध कराना / माननीय एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मांग पर अंगरक्षक प्रतिनियुक्त करना / दखल दहानी इत्यादि के लिए शस्त्र गार्ड उपलब्ध कराना है।

(4) अंकेक्षण का क्षेत्र -

पुलिस महानिरीक्षक (मु0) पटना के पत्रांक-4897 दिनांक-25.10.13 द्वारा अभियाचना के आलोक में वित्त (अंकेक्षण) विभागीय झापांक- 06 दिनांक-22.01.2014 वि0 मु0 पत्रांक 61 दिनांक- 01.07.2014 में निहित निर्देशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सुपौल के विभिन्न मंदों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों के प्राप्ति एवं जमा (कोषागार में) की जाँच का सत्यापन संबंधित रोकड़ पुस्त, रसीद पुस्त, रसीद वही एवं कार्यालय जमा पंजी (राजस्व प्राप्ति) रेमिटेन्स से वर्ष 1997-98 से 2012- 13 तक का किया गया। प्राप्त राजस्व राशियों से संबंधित मंद (अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति / बैंक, विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड / दखल दहानी

/ वाद / नीलामी एवं अन्य मामले, उपस्कर नीलामी एवं लोक सेवाओं का अधिकार से प्राप्त राशि से संबंधित अन्य संचिकाओं की जाँच एवं सत्यापन कार्य की गई।

5. वित्तीय स्रोत - राजस्व प्राप्ति / आय-व्यय विवरणी परिशिष्ट "ख" पर अंकित है।

6. कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति - शत प्रतिशत सत्यापन किया गया एवं सही पाया गया।

7. महालेखाकार के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति - अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया है।

8. वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति - पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन उपस्थापित नहीं किया गया।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

अंकेक्षित अवधि वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक में विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व राशियों से संबंधित वर्षवार आय एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट "ख" पर अंकित है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है। कि प्रति वर्ष विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व राशियों को उक्त वित्तीय वर्ष में कोषागार में जमा कर दिया गया, जिसका कोषागार सत्यापन जिला कोषागार सुपौल के जमा शीर्ष अभिलेखों से सत्यापन वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया। उक्त विवरण में अंकित राशियों एवं कड़िका सं० 4 में राजस्व क्षति की अंकित राशियों के अतिरिक्त अगर बल प्रतिनियुक्ति की गयी हो तो उसकी भी गणना

कर राजस्व क्षति की राशि वर्गल की जा सकती है। विवरणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट

होता है कि कुछ वित्तीय वर्षों में कम राजस्व की प्राप्ति पाई गई जो अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति के

दिए गए राशि जमा नहीं किये जाने के फलस्वरूप हुई।

वर्षवार आय एवं व्यय विवरणी कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई शेकड़ पुरत, रसीद वही, बैंक जमा पंजी (रेसिटेंस) एवं अन्य सचिकाओं के आधार पर तैयार की गई है।

अंकेक्षण कम में शेकड़ पुरत के जाँच एवं सत्यापन कार्य में यह पाया गया कि

लेखापाल द्वारा मनमाने ढंग से प्राप्त राशि को काफ़ी समय तक अपने पास रखकर कोषागार में विलम्ब से जमा किया जा रहा है।

यह अंगीर वित्तीय अनियमितता है तथा गवर्न / दृविनियोग की सभावना से इंकार नहीं

पाया जा सकता।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि

प्राप्त राजस्व राशि सरसमय कोषागार में जमा किया जाय जिससे वित्तीय अनियमितता न हो।

भाग — 2

4. अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति शुल्क की प्रतिपूर्ति राशि वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की क्षति राशि रु0 2101648.00 वसूली योग्य :-

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सुपौल के रक्षित कार्यालय शाखा पुलिस लाईन से प्राप्त अभिलेखों यथा जिला सुरक्षा समिति के अभिलेख अंगरक्षक प्रतिनियुक्त कमान पंजी, दिवा पंजी एवं अन्य संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि गैर हकदार व्यक्तियों को आरक्षी सुरक्षा गार्ड के रूप में दिया गया था। विभागीय नियमानुसार गैर हकदार लोगों को पुलिस तैनाती की अवधि जारी रखने से संबंधित आवश्यक स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त नहीं की गई तथा तैनाती अवधि का सुरक्षा गार्ड का प्रतिपूर्ति शुल्क भी विभाग द्वारा निर्धारित दर से नहीं वसूला गया था, जिस कारण तैनाती की तिथि तक कुल राशि 2101648.00 की राजस्व की हानि हुई जिसका समेकित विवरणी परिशिष्ट "ग" पर अंकित है।

गृह (आरक्षी) विभाग के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय आदेश पर गैर हकदार व्यक्तियों को पुलिस तैनाती / सुरक्षा गार्ड तैनाती की जा सकती है परन्तु 30 दिनों के अन्दर मुख्यालय / आरक्षी महानिदेशक से अनुमति प्राप्त किये जाने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन सं0- 182/02-03 तथा प्रधान महालेखाकार बिहार, पटना के पत्रांक - 328 दिनांक- 13.12.03 के अवलोकन क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन क्रम में मुख्यालय / आरक्षी महानिदेशक से अनुमति प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में जिला सुरक्षा समिति का वृत्त का जिक्र किया गया है तथा शेष व्यक्तियों के संदर्भ में जिला सुरक्षा समिति की अनुसंधान का जिक्र नहीं किया गया है।

अंकेक्षण अवधि तक न तो मुख्यालय / आरक्षी महानिरीक्षक से अनुमति प्राप्त किये जाने संबंधित पत्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही सुरक्षा समिति की बैठक या किस समक्ष पदाधिकारी के आदेश से अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति की गई थी संचिका उपलब्ध कराई गई। (सिर्फ जिला पदाधिकारी सुपौल की अध्यक्षता में आयोजित सुरक्षा समिति का वृत्त दिनांक- 1.7.05, 16.1.06, 19.1.07 एवं 22.1.07 का वृत्त की कॉपी उपलब्ध कराई गई)

अतः इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेषरूप से आकृष्ट किया जाता है कि इतना विलम्ब होने तथा महालेखाकार द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद की इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने तथा राजस्व हानि से संबंधित राशि वसूली करने तथा वसूली राशि प्राप्ति के पश्चात अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

भाग - 3 (सुक्षावात्मक)

5. अंकेक्षण का सुझाव :-

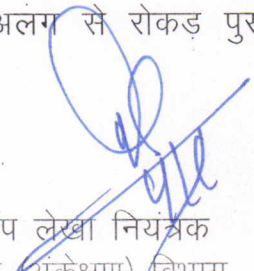
बिहार वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 306 (ए) तथा बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 80 ए के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को अपने अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार को प्रति वर्ष प्रेषित करना अपेक्षित है कि लेखा एवं अन्य कार्य नियमानुकूल ढंग से हो रहा है अथवा नहीं।

अतः सक्षम पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सरकारी राशि खजाने में यथा समय जमा की जा सके।

वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम -86 के अनुसार लेखा संधारण में रोकड़ पुस्त का दैनिक प्रविष्टि का अनिवार्यतः लिखा जाना है। नियमानुकूल लेखा संधारण हेतु समय-समय पर जिला आरक्षी अधीक्षक का निरीक्षण प्रतिवेदन भी अपेक्षित है।

जिला आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, सुपौल में लेखा संधारण में विभिन्न शाखा में सामंजस्य नहीं था। रक्षित कार्यालय पुलिस लाईन परिचारी प्रवर अंकेक्षण कार्य में सराहनीय सहयोग किया गया अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति से संबंधित उपलब्ध अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर कार्य किया गया।

अतः अंकक्षण का सुझाव का सुझाव है कि विभिन्न शाखा द्वारा लेखा संधारण में आपस में बेहतर तालमेल बनाया जाय साथ ही राजस्व प्राप्ति से संबंधित अलग से रोकड़ पुस्त संधारण का भी सुझाव दिया जाता है।



उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकक्षण) विभाग,
बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्ता का ह०
मंजु कुमारी, व०अ०-२

परिशिष्ट "क"

(कंडिका 1 "ट" से संबंधित)

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

प्रस्तुत अभिलेखों -

- 1 सफाई पुस्तक — वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक
- 2 रसीद वही — वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक
- 3 कार्यालय जमा पंजी (रेमिटेन्स) — वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक
- 4 जिला सुरक्षा समिति की बैठक की संचिका — वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक तथा
जिला पदा० सुपौल की अध्यक्ष में आयोजित जिला सुरक्षा समिति का वृत्त दि० — 11.7.
05, 16.1.06, 19.1.07 एवं 22.1.07 की कॉपी।
- 5 पुलिस प्रतिनियुक्त बल पंजी — वर्ष 1999-2000 से 2002-03 तक
— वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक
- 6 जमा पंजी दिनांक— 18.8.07 से 26.11.08 तक
दि० — 10.4.09 से 04.10.09 तक
दिनांक— 7.10.09 से 14.6.11 तक
- 7 देवा पंजी — वर्ष 1997 — 98 से 02-03 तक
वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक

परिशिष्ट " क "

(कंडिका 1 "ट" से संबंधित)

अप्रस्तुत अभिलेखों —

- 1 जिला सुरक्षा समिति की बैठक की संचिका — वर्ष 1997-98 से 2007-08 तक
- 2 पुलिसा प्रतिनियुक्ति बल पंजी — वर्ष 1997-98 से 98-99 तक
एवं 03-04 से 07-08
- 3 कमान पंजी दिनांक— 1.4.97 से 17.8.07 तक
दि० — 27.11.08 से 1.04.09 तक
दिनांक— 3.4.09 से 9.4.09 तक
दि० — 5.10.09 से 6.10.09 तक
दि० — 15.06.11 से 31.3.13 तक
- 4 दिवा पंजी — वर्ष — 03 — 04 से 07 — 08 तक

प्रारंभिक "ख"

कंडिका 2 (5) से संबंधित

आय व्यय दिवर्णी :-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	मद	बकाया राशि	वर्ष में सूची योग्य राशि	कुल राशि	जमा राशि	बंकाया राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	97-98	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	14,764.15	14,764.15	14,764.15	0	
3		दखल दहानी	0.00	7,387.20	7,387.20	7,387.20	0	
4		उपस्कर निलामी / बाद	0.00	60.00	60.00	60.00	0	
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

1	98-99	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3		दखल दहानी	0.00	1,846.80	1,846.80	1,846.80	0	
4		उपस्कर निलामी / बाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

1	99-2000	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	0.00	47,037.00	47,037.00	17,709.00	29,328.00	
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	8,002.80	8,002.80	8,002.80	0.00	
3		दखल दहानी	0.00	30,078.00	30,078.00	30,078.00	0.00	
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2000-01	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	29,328.00	2,86,919.00	3,16,247.00	89,735.00	2,26,512.00	
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	5,696.25	5,696.25	5,696.25	0.00	
3		दखल दहानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2001-02	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	2,26,512.00	4,62,270.90	6,88,782.90	1,48,866.90	5,39,916.00	
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3		दखल दहानी	0.00	626.65	626.65	626.65	0.00	
4		उपस्कर निलामी	0.00	16,076.00	16,076.00	16,076.00	0.00	
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2002-03	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	5,39,916.00	8,02,971.30	13,42,887.30	1,81,026.30	11,61,861.00	
---	---------	------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--

2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	26,533.00	26,533.00	26,533.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2003-04	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	11,61,861.00	0.00	11,61,861.00	0.00	11,61,861.00
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	47,061.00	47,061.00	47,061.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2004-05	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	11,61,861.00	15,300.00	11,77,161.00	15,300.00	11,61,861.00
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	1,16,010.00	1,16,010.00	1,16,010.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2005-06	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	11,61,861.00	65,790.00	12,27,651.00	65,790.00	11,61,861.00
---	---------	------------------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------

2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	3,54,108.00	3,54,108.00	3,54,108.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2006-07	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	11,61,861.00	0.00	11,61,861.00	0.00	11,61,861.00
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	3,42,994.00	3,42,994.00	3,42,994.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2007-08	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	11,61,861.00	38,250.00	12,00,111.00	38,250.00	11,61,861.00
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	4,61,009.00	4,61,009.00	4,61,009.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2008-09	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	11,61,861.00	88,995.00	12,50,856.00	22,950.00	12,27,906.00
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	3,15,455.00	3,15,455.00	3,15,455.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2009-10	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	12,27,906.00	27,285.00	12,55,191.00	0.00	12,55,191.00
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	3,74,385.00	3,74,385.00	3,74,385.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2010-11	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	12,55,191.00	10,950.00	12,66,141.00	10,950.00	12,55,191.00
---	---------	------------------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------

2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	9,50,526.00	9,50,526.00	9,50,526.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2011-12	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	12,55,191.00	4,85,817.00	17,41,008.00	1,06,935.00	16,34,073.00
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	3,48,030.00	3,48,030.00	3,48,030.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	1,18,200.00	1,18,200.00	1,18,200.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2012-13	अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति	16,34,073.00	4,14,429.00	20,48,502.00	40,595.00	20,07,907.00
2		विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति सुरक्षा गार्ड	0.00	6,92,650.00	6,92,650.00	6,92,650.00	0.00
3		दखल दहानी	0.00	73,065.00	73,065.00	73,065.00	0.00
4		उपस्कर निलामी	0.00	5,35,154.00	5,35,154.00	5,35,154.00	0.00
5		सूचना का अधिकार	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00

परिशिष्ट "ग"						
कंडिका 4 से संबंधित						
राजस्व धाति की वसूली एवं राशि कुल रु0 2101648.00 से संबंधित विवरण :-						
क्रम सं०	उन व्यक्तियों के नाम जहाँ अंगरक्षक प्रतिनियुक्त थे।	अवधि	कुल दिन	दर प्रतिदिन	वसूली योग्य कुल राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अभिषेक पंसारी, निर्मली -व्यवसायी	26.11.12 से 4.2.13 तक (एक आरक्षी)	71	873.00	61,983.00	आरक्षी सं० 20 जितेन्द्र दास जिला सुरक्षा समिति का ज्ञाप 2276 -2 गो० दिनांक 11.9.12 के द्वारा दो माह के लिये भुगतान के आधार पर
2	ग्रामीण श्री ज्ञानशंकर चौधरी, ग्राम - डुमरी राधोपुर	30.9.08 से 20.3.09 तक (एक आरक्षी)	171	255.00	43,605.00	आरक्षी सं० 12 सत्यनारायण उरांव, जिला सुरक्षा समिति का ज्ञाप 15 -1 गो० दिनांक 09.01.07 के द्वारा प्रतिनियुक्त वृत्त भुगतान नहीं करने का कोई जिक्र नहीं।

3	एन एच आई प्रोजेक्ट मैनेजर श्री सत कुमार झा, असारया, सुपौल	21.08 से 31.03.09 तक	455	255.00	1,16,025.00	आरक्षी सं0 488 कमल नयन शर्मा जिला सुरक्षा समिति की संचिका अप्राप्त है।
		1.4.09 से 16.7.09 तक (एक आरक्षी)	107	255.00	27,285.00	
					1,43,310.00	
4	श्री अमरजीत कुमार सिंह, डायरेक्टर डेल्टा इनफेक्चर प्रो0 लि0 भपटियाही	21.7.11 से 31.3.12 तक	255	873.00	2,22,615.00	आरक्षी सं0 372 विवेक कुमार रौशन जिला सुरक्षा समिति की संचिका अप्राप्त है।
		01.4.12 से 21.6.12 तक (एक आरक्षी)	82	873.00	71,586.00	
				कुल राशि	2,94,201.00	
5	श्री राम कुमार राय, मुखिया, छिटही हनुमानगर	12.05.11 से 30.08.11 तक (एक आरक्षी)	111	873.00	96,903.00	आरक्षी सं0 487, ललन कुमार, जिला सुरक्षा समिति की संचिका अप्राप्त है।
6	श्री महबुब अली कैसर, पूर्व विधायक	24.1.12 से 31.3.12 तक	68	873.00	59,364.00	आरक्षी सं0 09, मो0 तैआव खाँ अपर पु0 महा0 निदे0 बिहार, पटना के ज्ञाप 2279/1-2 दि0 26.7. 12 एवं ज्ञाप

		1.4.12 से 31.12.12 तक (एक आरक्षी)	275	873.00	2,40,075.00	2486 / 1-2 दि० 9.8.12 द्वारा अंगरक्षक प्रतिनियुक्त परन्तु जिला सुरक्षा समिति से अनुशंसा प्राप्त नहीं है।
				कुल राशि	2,99,439.00	
7	श्री सजय झा, पूर्व एम० एल० सी०	2.12.12 से 31.12.12 तक (एक आरक्षी)	30	873.00	26,190.00	आरक्षी सं० 523, गोविन्द झा, अपर पु० महा० निदे० बिहार, पटना के झाप 2279 / 1-2 दि० 20.7.12 एवं झाप 2486 / 1-2 दि० 9.8.12 द्वारा अंगरक्षक प्रतिनियुक्त परन्तु जिला सुरक्षा समिति से अनुशंसा अप्राप्त।
8	श्री लखन ठाकुर, माननीय पूर्व विधायक राधोपुर, ग्राम - टेकूना, थाना - प्रतापगंज, जिला- सुपौल।	13.1.2000 से 31.03.2000 तक	79	156.00	12,324.00	आरक्षी सं० उपेन्द्र कुमार मेहता, निर्गत आपत्ति अनुपालन में बताया गया कि अंगरक्षक प्रतिनियुक्त की पंजी में इनकी प्रतिनियुक्ति दर्ज है।
		1.4.2000 से 31.3.2001 तक	365	156.00	56,940.00	

		1.4.2001 से 31.3.2002 तक	365	156.00	56,940.00	जिला सुरक्षा समिति का अनुशंसा अप्राप्त।
		1.4.2002 से 31.12.2002 तक (एक आरक्षी)	275	255.00	70,125.00	
				कुल राशि	1,96,329.00	
9	श्री विश्व मोहन भारती, माननीय विधायक छातापुर वर्तमान ग्राम -- पो0 -- डपरखा, थाना- त्रिवेणीगंज, जिला सुपौल	18.9.01 से 31.3.02 तक	195	156.00	30,420.00	आरक्षी सं0 श्री कान्त ठाकुर, अनुपालन में बताया गया कि अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पंजी में दर्ज है। परन्तु जिला सुरक्षा समिति की अनुशंसा अप्राप्त है।
		1.4.2002 से 31.12.2002 तक (एक आरक्षी)	275	255.00	70,125.00	
				कुल राशि	1,00,545.00	
10	श्री बलराम यादव, माननीय पूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद सुपौल, ग्राम- हीरापट्टी, थाना- जदिया, जिला - सुपौल	20.8.01 से 31.03.02 तक	224	156.00	34,944.00	आरक्षी सं0 कैलाश किस्को, अनुपालन में बताया गया कि अंगरक्षक पंजी में इनकी प्रतिनियुक्ति दर्ज है। परन्तु जिला सुरक्षा समिति का अनुशंसा अप्राप्त है।
		1.4.2002 से 31.12.2002 तक (एक आरक्षी)	275	255.00	70,125.00	

				कुल राशि	1,05,069.00	
11	श्री विश्वमोहन कुमार माननीय पूर्व विधायक-- त्रिवेणीगिरी एवं वर्तमान माननीय सांसद सुपौल, ग्राम - कटैया, थाना - पिपरा, जिला- सुपौल।	13.12.99 से 31.3.2000 तक	110	156.00	17,160.00	आरक्षी ललन कुमार ललन, अनुपालन में बताया गया कि अंगरक्षक पंजी में इनकी प्रतिनियुक्ति दर्ज है। परन्तु जिला सुरक्षा समिति का अनुशंसा अप्राप्त है।
		1.4.2000 से 31.3.2001 तक	365	156.00	56,940.00	
		1.4.2001 से 31.3.2002 तक	365	156.00	56,940.00	
		1.4.2002 से 31.12. 2002 तक (एक आरक्षी)	275	255.00	70,125.00	
				कुल राशि	2,01,165.00	
12	श्री विजय कुमार गुप्ता, पे0 - भूषण कुमार गुप्ता, माननीय पूर्व विधायक निर्मली, ग्राम - मनोहर पट्टी बड़हरा, थाना- मरौना, जिला - सुपौल।	6.12.2000 से 31.3. 2001 तक	116	156.00	18,096.00	आरक्षी नवल किशोर मंडल, अनुपालन में बताया गया कि अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पंजी में दर्ज है। परन्तु जिला सुरक्षा समिति को अनुशंसा अप्राप्त है।
		1.4.2001 से 31.3.2002 तक	365	156.00	56,940.00	
		1.4.2002 से 31.12. 2002	275	255.00	70,125.00	
				कुल राशि	1,45,161.00	

13	श्री लज्ज प्रकाश चौधरी, पे0 - स्व0 लहटन चौधरी, ग्रा0- थो0- कर्णपुर थाना- जिला- सुपौल	8.2.2000 से 31.3.2000 तक	59	156.00	8,268.00	आरक्षी मो0 औरजेव आलम, अनुपालन में बताया गया कि अंगरक्षक प्रांति0 पंजी में दर्ज है। परन्तु जिला सुरक्षा समिति को अनुशंसा अप्राप्त है।
		1.4.2000 से 31.3.2001 तक	365	156.00	56,940.00	
		1.4.2001 से 31.3.2002 तक	365	156.00	56,940.00	
		1.4.2002 से 31.12. 2002	275	255.00	70,125.00	
					1,92,273.00	
					26,000.00	कोषागार में जमा जिसका सत्यापन कर लिया गया।
				कुल राशि	1,66,273.00	
14	श्री कुरी दास पूर्व मुखिया, ग्राम- रामविशनपुर, थाना- राधोपुर, जिला- सुपौल	18.3.02 से 31.3.02 तक	14	156.00	2,184.00	आरक्षी सुमन कुमार सुमन, अंगरक्षक प्रांति0 पंजी में दर्ज परन्तु जिला सुरक्षा समिति की अनुशंसा अप्राप्त है।
		1.4.02 से 31.12.02 तक	275	255.00	70,125.00	
				कुल राशि	72,309.00	

15	श्री सुर्य नारायण यादव, माननीय पूर्व सांसद एवं जिला अध्यक्ष राजद सुपौल ग्राम- सौरवाजार, जिला- सहभंग	6.12.01 से 31.03.02 तक	116	256.00	18,096.00	आरक्षी शैलेन्द्र कुमार सिंह, अंगरक्षक प्रति० पंजी में दर्ज परन्तु जिला सुरक्षा समिति की अनुमति अप्राप्त है।
		1.4.02 से 31.12.02 तक	275	255.00	70,125.00	
				कुल राशि	88,221.00	
16	श्री दीनबन्धु यादव, माननीय पूर्व विधायक-त्रिवेणीगंज एवं पूर्व प्रमुख - पीपरा, ग्राम- वसहा, थाना- पिपरा, सुपौल	7.5.02 से 31.12.02 तक	239	255.00	60,945.00	आरक्षी डाडी लाल यादव, अंगरक्षक प्रति० पंजी में दर्ज परन्तु जिला सुरक्षा समिति की अनुमति अप्राप्त है।
			कुल योग		2101648.00	